NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

(An Apex Organisation of the Indian Cooperative Movement)

3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016

Phone : 011-41811153 **E-mail :** boardncui@gmail.com

Ref.No.: NCUI/CDN/11(AGM)/2025-2026 Dated: 03.09.2025

The Managing Director/Chief Executive
All Member Institutions of
National Cooperative Union of India

Subject : Notice of the Annual General Body Meeting of NCUI for the year 2024-2025.

Dear Sir/Madam,

As per the decision of the 221th Governing Council Meeting of NCUI held on 27.08.2025, notice is hereby given that the Annual General Body Meeting of National Cooperative Union of India will be held on Saturday the 20th September, 2025 at 12.00 Noon in the NCUI Auditorium, New Delhi. The list of Agenda is as follows:

FORMAL ITEMS

1. Confirmation of the Minutes of the last Annual General Body Meeting of NCUI held on 25.09.2024.
2. To take note of the action taken report on the decisions of the last Annual General Body Meeting of NCUI held on 25.09.2024.

SUBSTANTIVE ITEMS

3. To consider and approve the Annual Report of NCUI for the year 2024-2025.
4. To consider and approve the NCUI's Audited Accounts, Auditor's Report for the year 2024-2025 and its compliance.
5. Consideration of the Work-Programme of NCUI for the year 2026-2027.
6. To consider and approve the NCUI's Revised Budget for the year 2025-2026 and Budget Estimates for the year 2026-2027.
7. To consider the appointment of Auditors of NCUI for the 2025-2026 and remuneration thereof.
8. Perusal of list of employees who are relatives of members of the Governing Council or of the Chief Executive.
9. To consider the amendment of the Bye-Laws as approved by Governing Council in accordance with MSCS (Amendment) Act & Rules 2023.
10. Any other item with permission of Chair.

The Audited Annual Accounts 2024-2025 at Agenda Item No. 4 and amendment of Bye-laws of NCUI as approved by Governing Council in accordance with MSCS (Amendment) Act & Rules, 2023 at Agenda Item No. 9 is attached with Meeting Notice. Agenda notes on other items along with Annual Report of NCUI for the year 2024-2025 will follow soon.

In accordance with the bye-law No. 11(a) of the National Cooperative Union of India and Section 38(3) of MSCS (Amendment) Act & Rules 2023 each member society shall send **one** delegate to the General Body of NCUI. Hence, we request you to kindly send the name and address of your delegate (one) with resolution adopted by the Competent Authority of member society nominating the delegate duly attested by the Chairman/Secretary/Chief Executive or any authorized officer under the seal of the society in the prescribed proforma at the earliest positively through post and E-mail at ***boardncui@gmail.com***

Thanking you,

Yours faithfully,

(Dr. Sudhir Mahajan)
IAS(Retd.)
Chief Executive

Encl: As above.

Note : 1. Registration of delegates of AGM will start at 09.00 a.m. on 20.09.2025 in the NCUI Auditorium, New Delhi.
2. The delegates are requested to kindly make their own arrangements of lodging & boarding.

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

(An Apex Organisation of the Indian Cooperative Movement)
3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016

Phone : 011-41811153 **E-mail :** boardncui@gmail.com

Ref.No. : NCUI/CDN/11(AGM)/2025-2026 Dated: 03.09.2025

The Managing Director/Chief Executive
All Member Institutions of
National Cooperative Union of India

Subject : Nomination of delegates to the General Body of National Cooperative Union of India.

Dear Sir/Madam,

As per the provision of bye-law No. 12(ii) of NCUI, the Annual General Body Meeting of the National Cooperative Union of India for the year 2024-25 is scheduled to be held on 20th September, 2025 at 12.00 Noon in the NCUI Auditorium, New Delhi.

Each member institution of NCUI is required to nominate its **one** delegate to the NCUI General Body. Nomination of delegate by member institutions will be governed by the provisions of Section 38(3) of the Multi-State Cooperative Societies(Amendment) Act, 2023 and Bye-law no. 11(a) of NCUI, which are reproduced below :-

Section 38(3) of the Multi –State Cooperative Societies(Amendment) Act, 2023:-

"Where in any meeting of the general body or the board of a Multi-State Cooperative Society, a cooperative society or another Multi-State Cooperative Society is to be represented, such cooperative society or other Multi-State Cooperative Society shall be represented in such meeting only through the chairperson or the President or the Chief Executive or a member of the board of such cooperative society or other multi state cooperative, as the case may be, if such member is so authorized by the board and where there is no board of such cooperative society or Multi-State Cooperative Society, for whatever reasons, through the administrator, by whatever name called, of such cooperative society or other multi-state cooperative society:

Provided that where the bye-laws of a Multi-State Cooperative Society provide for representation of other institutions in any meeting of general body or the board of such Multi-State Cooperative Society, such institutions shall be represented through its nominee."

Bye-law No. 11(a) : Representation on the General Body

*a) Each member society shall send **one** delegate to the general body of the Union.*

1. We, therefore, request you to kindly send the name and address of your delegate **(one)** to the General Body of National Cooperative Union of India, in the prescribed proforma, enclosed at ***Annexure-I.***
2. A copy of the Resolution adopted by the competent authority of member society nominating the delegate duly attested by the Chairman/ Secretary/ Chief Executive or any authorized officer under the seal of the society should also be sent along with the nomination.
3. It shall be appreciated if the nomination of your delegate or change of nominated delegate of your society may be communicated to us latest by 10.09.2025 positively by post/e-mail at boardncui@gmail.com

Thanking you,

Yours faithfully,

(Dr. Sudhir Mahajan)
IAS(Retd.)
Chief Executive

Encl: As above.

ANNEXURE-I

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

Proforma for Nomination of Delegate to the Annual General Body of NCUI on 20.09.2025

1.	Name of the Member Institution	
2.	Address of the Member Institution	
3.	Details of the delegate i) Name and position (Chairman/ Chief Executive/ Director/ Administrator) held by the delegate. ii) Address of the delegate for Correspondence along with Telephone and Email iii) Specimen Signature of the delegate duly attested	Signatures attested (Name & designation of the person attesting the signatures)
4.	Nominated Vide *Resolution No. and date of the Board.	*Resolution No.: Date :

(Signature of Chairman/Secretary/Managing Director/
Chief Executive Officer/Administrator)

Seal of the Institution
Date:
(*Please enclose a certified copy of the **fresh** resolution)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

(भारतीय सहकारी आन्दोलन की एक शीर्षस्थ संस्था)

3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110 016

दूरभाष : **011-41811153** **E-mail :** boardncui@gmail.com

संदर्भ सं. : एन.सी.यू.आई. / सी.डी.एन. / 11(ए.जी.एम.) / 2025–2026 दिनांक : 03.09.2025

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी
भा.रा.सह. संघ की सभी सदस्य संस्था

विषय : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सामान्य निकाय की वर्ष 2024–2025 की वार्षिक बैठक की सूचना।

महोदय / महोदया,

दिनांक 27.08.2025 को आयोजित शासी परिषद की 221वीं बैठक के निर्णय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सामान्य निकाय की वर्ष 2024–2025 की वार्षिक बैठक, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सभागार में शनिवार दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को मध्याह्न 12.00 बजे होगी। कार्यसूची मदों का विवरण निम्न प्रकार है :

नियमानुसार मदें

1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की दिनांक 25.09.2024 को हुई सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि।
2. दिनांक 25.09.2024 को हुई संघ की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणी ।

आवश्यक मदें

3. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ष 2024–2025 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
4. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ष 2024–2025 के अंकेक्षित लेखों, अंकेक्षण एवं अनुपालन रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
5. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ष 2026–2027 के वार्षिक कार्यकक्रक्रम पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
6. भा.रा.सह. संघ के वर्ष 2025–2026 के संशोधित अनुमानों तथा वर्ष 2026–2027 के लिए बजट अनुमानों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
7. वर्ष 2025–2026 के लिए संघ के अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
8. उन कर्मचारियों की सूची का अवलोकन जो संघ की शासी परिषद् अथवा मुख्य कार्यकारी के संबंधी हैं ।
9. बहुराज्जीय सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2023 के अनुसार शासी परिषद द्वारा अनुमोदित उपनियमों में संशोधन पर विचार एवं अनुमोदन हेतु ।
10. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मद।

मद सं. 4 अंकेक्षित वार्षिक लेखा 2024–25 एवं बहुराज्जीय सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2023 के अनुसार शासी परिषद द्वारा अनुमोदित भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के उपनियमों में संशोधन की प्रति (अंग्रेजी) मद सं. 9 पत्र के साथ संलग्न है । अन्य मदों पर एजेंडा नोट्स तथा वर्ष 2024–25 के लिए भा.रा.स. संघ की वार्षिक रिपोर्ट जल्द ही भेजे जाएंगे।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के उप–नियम संख्या 11(ए) के अनुसार **और** बहुराज्जीय सहकारी समिति **(संशोधन) अधिनियम और नियम** 2023 **की धारा** 38(3) प्रत्येक सदस्य संस्था, संघ की सामान्य निकाय में एक प्रतिनिधि भेजेगी । इसलिए भा.रा.स. संघ आपसे अनुरोध करता है की कृपया आप अपने एक प्रतिनिधि का नाम औेर पता संस्था के अध्यक्ष / सचिव / मुख्य कार्यकारी या किसी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि संस्था की मोहर के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर डाक तथा ई–मेल द्वारा ***boardncui@gmail.com*** पर शीघ्र भेज दे।

धन्यवाद,

भवदीय,

(डा. सुधीर महाजन)
आई.ए.एस.(सेवानिवृत्त)
मुख्य कार्यकारी

संलग्न : उपरोक्तानुसार

नोटः 1. सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों का पंजीकरण 20.09.2025 को **प्रातः** 09.00 बजे से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सभागर के प्रांगण में आरम्भ होगा।
2. प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि कृपया अपने ठहरने एवं खान पान की व्यवस्था स्वयं करें ।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

(भारतीय सहकारी आन्दोलन की एक शीर्षस्थ संस्था)

3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110 016

दूरभाष : **011-41811153** **E-mail :** boardncui@gmail.com

संदर्भ सं. : एन.सी.यू.आई. / सी.डी.एन. / 11(ए.जी.एम.) / 2025–2026 ***दिनाँक*** : 03.09.2025

प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी
भा.रा.सह. संघ की सभी सदस्य संस्था

विषय : भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सामान्य निकाय के प्रतिनिधियों का नामांकन ।

प्रिय महोदय / महोदया,

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की उप विधि संख्या 12(ii) के अनुसार वर्ष 2024–2025 के लिये सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2025 को दोपहर 12.00 बजे भा0रा0स0संघ के सभागार नई दिल्ली में होनी तय हुई है ।

इसलिये भा.रा.सह.संघ की प्रत्येक सदस्य संस्था को भा.रा.सह. संघ की सामान्य निकाय के लिये अपने **एक** प्रतिनिधि का नामांकन करना है । सदस्य संस्थाओं द्वारा प्रतिनिधियों का नामाकंन बहुराज्जीय सहकारी समिति **(संशोधन)** अधिनियम 2023 की धारा 38(3) और भा.रा.सह. संघ के उपनियम संख्या 11(ए) के अन्तर्गत किया जाना है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

बहुराज्जीय सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2023 की धारा 38(3)

"जहां एक बहु–राज्य सहकारी समिति के सामान्य निकाय या बोर्ड की बैठक के किसी सहकारी समिति अथवा अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना है वहां सहकारी समिति अथवा अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैठकों में प्रतिनिधित्व सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष/अध्यक्षा अथवा मुख्य कार्यकारी या बोर्ड के सदस्य द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया जायेगा बशर्ते कि सदस्य को बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया हो और जहां कहीं सहकारी समिति या बहु–राज्य सहकारी समिति में किसी भी कारण से कोई बोर्ड नहीं है ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहु–राज्य सहकारी समिति के प्रशासक, किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा।

जहां एक बहु–राज्य सहकारी समिति के उप–नियमों में किसी अन्य संस्था के सामान्य निकाय या ऐसी बहु–राज्य सहकारी समिति के बोर्ड की बैठक में भाग लेने का प्रावधान किया गया है वहां ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नामिति व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।"

उप नियम संख्या 11(ए) : सामान्य निकाय में प्रतिनिधत्व

(क) समिति का प्रत्येक सदस्य संघ के सामान्य निकाय हेतु **एक** प्रतिनिधि भेजेगा ।

1. इसलिये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के सामान्य निकाय की बैठक के लिये ***अनुबंध–अ*** पर संलग्न निर्धारित प्रोफामों में अपने एक प्रतिनिधि का नाम और पता भेजने की कृपा करें।

2. सदस्य समिति की सक्षम निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे समिति की मोहर के साथ समिति के अध्यक्ष / सचिव / मुख्य कार्यकारी या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, भी नामाकंन के साथ भेजी जानी चाहिये ।

4. यदि आपके प्रतिनिधि का नामाकंन, या नामांकन में कोई बदलाव हो तो उसे जल्द से जल्द संघ में दिनांक 10.09.2025 तक **डाक/ ई-मेल** boardncui@gmail.com **पर** भेज दें जिसके लिए आपका आभार रहेगा ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(डा0 सुधीर महाजन)
आई.ए.एस.(सेवानिवृत्त)
मुख्य कार्यकारी

संलग्न : यथोपरि ।

अनुबंध-अ

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की वार्षिक आम सभा 20.09.2025 में प्रतिनिधि के नामांकन के लिए प्रोफार्मा

1.	सदस्य संस्था का नाम	
2.	सदस्य संस्था का पता	
3.	प्रतिनिधि का विवरण i) नाम और पदनाम (अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रशासक) ii) पत्राचार के लिए प्रतिनिधि का पता टेलीफोन तथा ई-मेल के साथ iii) प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का नमूना विधिवत रूप से सत्यापित किया गया	सत्यापित हस्ताक्षर (सत्यापित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम)
4.	नामित करने वाले प्रस्ताव संख्या एव दिनाक	*संकल्प संख्या : तारीख :

(अध्यक्ष / सचिव / प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रशासक के हस्ताक्षर)

संस्था की मुहर
तारीख:
(* कृपया प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न करें)